न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018 अटल सेवा केन्द्र कवास

क्रमांक रीडर/2018/602 दिनांक – 25/05/18

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 लालाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी कवास तहसील व जिला बाडमेर।		1 मुकनाराम पुत्र चौखाराम वगैराह जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी कवास तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक–11.05.2018

राजस्व आवेदन संख्या :–56/2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ग्राम राऊजी की ढाणी पटवार क्षैत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 316 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 384/318 रकबा 115.11 बीघा, खसरा संख्या 440/318 रकबा 04.16 बीघा कुल रकबा 120.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2018/603 - 06 दिनांक– 25/05/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लालाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी मुकनाराम पुत्र चौखाराम वगैराह जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी कवास तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner